-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बैट्री चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को सूचना के 12 घण्टे के अंदर अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी बैट्री बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12/13.08.2026 की देर रात्रि को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बैट्री चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को सूचना के 12 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 12.08.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले पुष्पेन्द्र द्वारा थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके ट्रैक्टर की बैट्री चोरी कर ली गई। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे कोतवाली देहात के पास से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों को कब्जे से चोरी की बैट्री बरामद हुई है।

बरामदगी-

- 01 ट्रैक्टर की बैट्री (चोरी की)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय पुत्र रामराज निवासी ग्राम गढाओ थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. मनोज पुत्र दरोला निवासी ग्राम रयान थाना बबेरु जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 219/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुश्री रेनू शर्मा
2. कां0 अभिषेक मिश्रा
3. कां0 सत्यदेव